2022/328

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना
जाति मीना
निवासी 7 / 8 गीता विहार
हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर
जिला जयपुर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. [illegible] वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही एवं तहसीलदार सिरोही को दिनांक 19.05.2022, 16.06.2022, 10.07.2022 05.04.2022 को अलग–अलग प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही के मुकदमा संख्या 32 / 2022 आदेश दिनांक 16.05.2022 एवं तहसीलदार पत्र संख्या राजस्व पब्लिक 20 / 1413 दिनांक 30.07.2020 की प्रति प्राप्ति के पश्चात आज तक तहसील कार्यालय सिरोही द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति एवं निगरानी संख्या 1999 / 2020 से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही एवं तहसीलदार सिरोही को दिनांक 19.05.2022, 16.06.2022, 10.07.2022 एवं 05.04.2022 को अलग–अलग प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही के मुकदमा संख्या 32 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 एवं तहसीलदार पत्र संख्या राजस्व पब्लिक 20 / 1413 दिनांक 30.07.2020 की प्रति प्राप्ति के पश्चात आज तक तहसील कार्यालय सिरोही द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति एवं निगरानी संख्या 1999 / 2020 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना तहसील कार्यालय सिरोही से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन तहसील कार्यालय सिरो[illegible] कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधि[illegible]दार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट [illegible]नुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो [illegible]सीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होक[illegible]बर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:29:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner